

अनुसंधान प्रश्न

“क्या भारत में छात्र कोचिंग संस्थान, कॉलेज या एडटेक कोर्स से फीस वापस पा सकता है अगर उन्होंने गलत जानकारी दी हो या रिफंड से मना कर दिया हो, और फीस वापसी तथा नॉन-रिफंडेबल शर्तों पर उपभोक्ता आयोगों और यूजीसी ने क्या कहा है?”

क्या भारत में छात्र कोचिंग संस्थान, कॉलेज या एडटेक कोर्स से गलत जानकारी देने या प्रवेश रद्द करने पर फीस वापस पा सकता है, और इस पर उपभोक्ता आयोगों तथा यूजीसी (UGC) के क्या नियम हैं?

सारांश

भारत में छात्र गलत जानकारी (misleading advertisements), सेवा में कमी (deficiency in service) या प्रवेश रद्द करने पर शैक्षणिक संस्थानों से फीस वापसी का वैधानिक अधिकार रखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Bhawana Bisht v. Netaji Subhas University of Technology* (2024) में यह स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी फीस वापसी के दिशा-निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी हैं और ये किसी संस्थान की निजी 'नॉन-रिफंडेबल' शर्तों या राज्य अधिनियमों पर प्रभावी होते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई छात्र बीच में प्रवेश रद्द कराता है और खाली हुई सीट किसी अन्य छात्र द्वारा भर दी जाती है, तो *Dr. Major K. Kamalanathan v. University Grants Commission* (2016) के अनुसार संस्थान को केवल मामूली प्रोसेसिंग शुल्क काटकर पूरी फीस वापस करनी होगी।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
8	3	2025
8 उच्च न्यायालय		Madras High Court

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	5
IV. मुकदमे का विवरण	6

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 UGC दिशा-निर्देशों की सर्वोपरि बाध्यकारिता

शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों की अपनी आंतरिक 'नॉन-रिफंडेबल' नीतियां या प्रोस्पेक्टस के नियम UGC के वैधानिक दिशा-निर्देशों के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकते; UGC के रिफंड नियम पूर्णतः अनिवार्य हैं, जैसा कि *Bhawana Bisht v. Netaji Subhas University of Technology* (2024) में स्पष्ट किया गया है।

02 अग्रिम और बहु-वर्षीय फीस वसूली पर प्रतिबंध

उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEIs) केवल उसी सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष की फीस अग्रिम ले सकते हैं जिसमें छात्र अध्ययन कर रहा है; पूरे कोर्स की फीस एक साथ अग्रिम रूप से वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित है क्योंकि यह छात्र की गतिशीलता को रोकता है, जैसा कि *R. Pooja v. The University Grants Commission* (2024) में रेखांकित किया गया है।

03 मूल दस्तावेजों को रोकने पर पूर्ण रोक

संस्थान बकाया फीस वसूलने या छात्र को कोर्स छोड़ने से रोकने के लिए उसके मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र (जैसे मार्कशीट, डिग्री आदि) को बंधक नहीं बना सकते; ऐसा करना शिक्षा का व्यावसायिक शोषण (commercial exploitation) माना जाएगा, जैसा कि *Rony Samuel v. The Registrar, Basheer Ahmed Crescent University* (2020) में माना गया है।

04 चार-स्तरीय (Four-Tier) समय-सीमा आधारित रिफंड

UGC की नीतियों के तहत छात्र के प्रवेश रद्द करने की सूचना देने के समय के आधार पर एक व्यवस्थित रिफंड ढांचा लागू होता है, जहां समय सीमा के भीतर प्रवेश वापस लेने पर केवल ₹1,000 की कटौती कर पूरी फीस वापस करनी होती है, जैसा कि *S.Ganeshram v. University Grants Commission* (2025) में दोहराया गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Bhawana Bisht* (2024) में सर्वोच्च न्यायालय के *Praneeth K. v. UGC* (2021) और *Gambhirdan K. Gandhvi v. State of Gujarat* (2022) के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह दोहराया कि UGC द्वारा जारी वैधानिक नीतियां और नियम सभी श्रेणी के विश्वविद्यालयों (निजी और स्व-वित्तपोषित सहित) पर पूर्णतः लागू होते हैं और संस्थान अपनी अलग व्याख्या देकर इससे बच नहीं सकते।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ व विशिष्ट व्याख्याएँ

तकनीकी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के संदर्भ में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने *Dhairya Omprakash Jhunjhunwala v. Union of India* (2023) और *International Institute of Information Technology v. Dhairya Omprakash Jhunjhunwala* (2023) में यह स्पष्ट किया कि डीम्ड विश्वविद्यालय तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने के बावजूद AICTE के लचीले नियमों की आड़ नहीं ले सकते; उन्हें अनिवार्य रूप से UGC के सख्त रिफंड दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि कोविड-19 जैसी असाधारण परिस्थितियों में छात्र द्वारा कुछ दिन कक्षाएं लेने के बावजूद आनुपातिक कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हाल का विकास

हाल के वर्षों में न्यायालयों ने छात्र माइग्रेशन (BDS से MBBS या अन्य पाठ्यक्रमों में चयन) के मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाई है। *C. Ravibalan v. The University Grants Commission* (2024) में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब छात्र अन्यत्र बेहतर अवसर के लिए प्रवेश रद्द करता है, तो कॉलेज दंड शुल्क या 'बॉन्ड ब्रेकेज' के नाम पर मूल दस्तावेज रोककर छात्र का करियर बाधित नहीं कर सकता।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 85, CONSUMER PROTECTION ACT, 2019 — LIABILITY OF PRODUCT SERVICE PROVIDER

यह धारा स्थापित करती है कि यदि किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, दोषपूर्ण या गुणवत्ता में अपर्याप्त है, या अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो उसे कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

"A product service provider shall be liable in a product liability action, if-- (a) the service provided by him was faulty or imperfect or deficient or inadequate in quality, nature or manner of performance which is required to be provided by or under any law for the time being in force, or pursuant to any contract or otherwise; or (b) there was an act of omission or commission or negligence or conscious withholding any information which caused harm; or (c) the service provider did not issue adequate instructions or warnings to prevent any harm; or (d) the service did not conform to express warranty or the terms and conditions of the contract." उद्धृत: प्रस्तुत निर्णयों में सीधे उद्धृत नहीं

SECTION 26, UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ACT, 1956 — POWER TO MAKE REGULATIONS

यह धारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को शिक्षण मानकों को निर्धारित करने और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली फीस की दरों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

"(1) The Commission may, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder,-- (i) specifying the matters in respect of which fees may be charged, and scales of fees in accordance with which fees may be charged, by a college under sub-section (2) of section 12A;" उद्धृत: R. Pooja v. The University Grants Commission

SECTION 94, CONSUMER PROTECTION ACT, 2019 — MEASURES TO PREVENT UNFAIR TRADE PRACTICES IN E-COMMERCE, DIRECT SELLING, ETC

यह धारा केंद्र सरकार को ई-कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग और अन्य क्षेत्रों में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार देती है।

"For the purposes of preventing unfair trade practices in e-commerce, direct selling and also to protect the interest and rights of consumers, the Central Government may take such measures in the manner as may be prescribed." उद्धृत: प्रस्तुत निर्णयों में सीधे उद्धृत नहीं

III. चर्चित मुकदमे

8 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Dhairya Omprakash Jhunjunwala v. Union of India</i> HBHC010643642022	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2023	डीम्ड विश्वविद्यालयों पर AICTE के बजाय UGC के फीस वापसी नियम अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।
02	<i>Bhawana Bisht v. Netaji Subhas University of Technology</i> DLHC010244172021	HIGH COURT OF DELHI	2024	UGC की रिफंड नीति विश्वविद्यालय के अपने प्रोस्पेक्टस नियमों और देरी के आधार पर रिफंड अस्वीकार करने की नीति पर हावी होती है।
03	<i>S.Ganeshram v. University Grants Commission</i> HCMA010669072025	MADRAS HIGH COURT	2025	निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश रद्द करने पर ₹1,000 की कटौती के बाद पूर्ण वापसी अनिवार्य है।
04	<i>C. Ravibalan v. The University Grants Commission</i> HCMA011626532017	MADRAS HIGH COURT	2024	दूसरे कोर्स में माइग्रेशन पर छात्र के मूल प्रमाण पत्र रोकना या बची फीस मांगना अवैध है।
05	<i>R. Pooja v. The University Grants Commission</i> HCMA010137762021	MADRAS HIGH COURT	2024	पूरे पाठ्यक्रम या बहु-वर्षीय अग्रिम फीस की जबरन वसूली और 'बॉन्ड ब्रेकेज' शुल्क अवैध है।
06	<i>Rony Samuel v. The Registrar, Basheer Ahmed Crescent University</i> HCMA011897362017	MADRAS HIGH COURT	2020	बकाया फीस वसूली के लिए छात्र की डिग्री या अंक तालिका रोकना गैर-कानूनी और व्यावसायिक शोषण है।
07	<i>Dr. Major K. Kamalanathan v. University Grants Commission</i> HCMA011092472016	MADRAS HIGH COURT	2016	UGC के दिशा-निर्देश संस्थान के प्रोस्पेक्टस की 'नॉन-रिफंडेबल' शर्तों पर पूरी तरह से हावी होते हैं।
08	<i>International Institute of Information Technology v. Dhairya Omprakash Jhunjunwala</i> HBHC010270072023	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2023	डीम्ड विश्वविद्यालयों को AICTE के बजाय UGC की छात्र-हितैषी रिफंड नीतियों का पालन करना होगा।

IV. मुकदमे का विवरण 8 केस फ़ाइलें

01 Dhairya Omprakash Jhunjhunwala v. Union of India

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023-04-13 • WP/42807/2022

यह मामला फीस वापसी (refund of fees) और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा UGC के दिशा-निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने respondent No. 2 संस्थान में दाखिला लिया था, लेकिन बाद में IIT मुंबई में चयन होने के कारण अपना प्रवेश रद्द करवा लिया। संस्थान ने नियमानुसार पूरी फीस वापस करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि COVID-19 महामारी के दौरान जारी UGC के निर्देशों के अनुसार उन्हें पूरा रिफंड मिलना चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को UGC की अधिसूचनाओं का पूरी तरह से पालन करना होगा। संस्थान अपनी मनमानी व्याख्या देकर या AICTE के नियमों का बहाना बनाकर शुल्क वापसी से इनकार नहीं कर सकते। यदि प्रवेश समय सीमा के भीतर रद्द कराया गया है, तो संस्थान को ₹1,000 से अधिक प्रोसेसिंग शुल्क काटने का अधिकार नहीं है।

“Thereafter, on cancellation/withdrawal of admissions up to 31.12.2021, the entire fee of the student shall be refunded in full, not more than Rs. 1,000/- as procession fee. Respondent No. 2 has also published its Notification on 02.11.2019 regarding refund of fees and non-refundable original certificates. The said notification and instructions contained therein shall be applicable to undergraduate, postgraduate and research programs run by the institutions included under Section 2(f) of the IJGC Act.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023

स्रोत HBHC010643642022

02 Bhawana Bisht v. Netaji Subhas University of Technology

HIGH COURT OF DELHI • 2024-11-11 • W.P.(C)/8232/2021

यह मामला फीस वापसी के इनकार से संबंधित है। petitioner ने Netaji Subhas University of Technology में प्रवेश लिया था, लेकिन COVID-19 के कारण अपने पिता के बीमार होने पर उन्होंने प्रवेश रद्द करने और फीस वापसी का अनुरोध किया। विश्वविद्यालय ने अपनी नीति का हवाला देते हुए रिफंड देने से मना कर दिया। न्यायालय ने University Grants Commission (UGC) के दिशा-निर्देशों का संदर्भ दिया, जिसके अनुसार COVID-19 महामारी के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश रद्द करने पर पूर्ण फीस वापसी अनिवार्य थी। न्यायालय ने माना कि UGC के वैधानिक दिशा-निर्देश राज्य के कानूनों और विश्वविद्यालय की नीतियों पर प्रभावी होंगे। तदनुसार, न्यायालय ने विश्वविद्यालय को petitioner को उनकी फीस वापस करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रीय हित और जनहित में जारी UGC के दिशा-निर्देश किसी भी राज्य अधिनियम (जैसे DNSUT Act) या विश्वविद्यालय के अपने आंतरिक नियमों पर प्राथमिकता रखते हैं। आवेदन में मात्र कुछ दिनों के विलंब को आधार बनाकर छात्र को फीस वापसी से वंचित नहीं किया जा सकता।

“In order to avoid financial hardship bring faced by the parents due to lockdown and related factors, full refund of fees be made on account of all cancellation of admissions/migration of students, up to 30.11.2020, for this very session as a special case. To be crystal clear, the entire fees including all charges be refunded in totality (Zero Cancellation charges) on account of cancellation/migration upto 30.11.2020. Thereafter, on cancellation/withdrawal of admissions up to 31.12.2020, the entire fee collected from a student be refunded in full after deduction of not more than Rs.1000/- as processing fee.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010244172021

03 S.Ganeshram v. University Grants Commission

MADRAS HIGH COURT • 2025-08-07 • WP/11204/2025

यह याचिका एक छात्र द्वारा दायर की गई थी जिसने Sree Sastha Institute of Engineering and Technology से प्रवेश रद्द करने के बाद अपने कॉलेज और हॉस्टल शुल्क की वापसी की मांग की थी। छात्र ने 07.12.2022 को अपने मूल प्रमाण पत्र वापस ले लिए थे। न्यायालय ने UGC Fee Refund Policy 2022-2023 का हवाला देते हुए माना कि यदि प्रवेश 31 दिसंबर, 2022 तक रद्द किया जाता है, तो छात्र 1,000 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती के बाद पूर्ण वापसी का हकदार है। न्यायालय ने संस्थान को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को 63,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि संस्थान UGC की वार्षिक फीस वापसी नीति (Fee Refund Policy) का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि छात्र ने निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के भीतर अपने दस्तावेज वापस मांगकर प्रवेश निरस्त कराया है, तो कॉलेज एवं हॉस्टल शुल्क दोनों को केवल ₹1,000 की मामूली कटौती के साथ छात्र को वापस करना होगा।

“According to the UGC Fee 4/7 <https://www.mhc.tn.gov.in/judis W.P.No.11204 of 2025 Policy 2022-2023>, for cancellation of admission upto October 31, 2022, students are entitled to a full refund. If the cancellation takes place after October 31, 2022 and on or before December 31, 2022, students are still entitled to a full refund, after deducting not more than Rs.1,000/- as a processing fee.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMA010669072025

04 C. Ravibalan v. The University Grants Commission

MADRAS HIGH COURT • 2024-06-03 • WP/8452/2017

यह मामला छात्रों द्वारा BDS कोर्स बीच में छोड़ने के बाद Annamalai University द्वारा उनसे पूरे कोर्स की फीस और जुर्माना वसूलने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के बच्चों ने MBBS में प्रवेश मिलने के बाद BDS कोर्स छोड़ दिया था, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने उनसे शेष वर्षों की पूरी फीस जमा करने पर ही मूल प्रमाण पत्र लौटाए। न्यायालय ने University Grants Commission (UGC) के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों को छात्रों के मूल प्रमाण पत्र रोकने या अनुचित फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने माना कि विश्वविद्यालय की यह कार्रवाई UGC के निर्देशों के विरुद्ध है और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वे नियमानुसार कटौती करके शेष राशि याचिकाकर्ताओं को वापस करें।

निर्णय न्यायालय ने माना कि सभी मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEIs) कानूनन UGC के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र के प्रमाण पत्रों को रोकना या उस पर बकाया कोर्स फीस देने के लिए अनुचित दबाव बनाना पूरी तरह से अवैध और दंडात्मक है।

“The fourth respondent is stated to be an University and is mandate in law to follow the guidelines and regulations and other notifications issued by the first respondent from time to time under the University Grants Commission Act. The notification and guidelines issued by the first respondent are applicable to the Higher Educational Institutions including the fourth and fifth respondents.”

MADRAS HIGH COURT • 2024

स्रोत HCMA011626532017

05 R. Pooja v. The University Grants Commission

MADRAS HIGH COURT • 2024-06-05 • WP/2510/2021

यह मामला शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों से पूरे कोर्स की फीस अग्रिम रूप से वसूलने और प्रवेश छोड़ने पर उसे वापस न करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने BDS कोर्स में प्रवेश लिया था, लेकिन बाद में MBBS में चयन होने पर उसने BDS छोड़ दिया। कॉलेज ने उससे पूरे कोर्स की फीस और 'बॉन्ड ब्रेकेज' शुल्क जमा करने के लिए मजबूर किया ताकि उसे उसके मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र वापस मिल सकें। न्यायालय ने University Grants Commission के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिक्षण संस्थानों को केवल उस सेमेस्टर या वर्ष की फीस लेने की अनुमति है जिसमें छात्र पढ़ाई कर रहा है। पूरे पाठ्यक्रम के लिए अग्रिम फीस लेना प्रतिबंधित है। न्यायालय ने कॉलेज को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई अतिरिक्त फीस को UGC के नियमों के अनुसार वापस करे।

निर्णय न्यायालय ने यह सिद्धांत सुदृढ़ किया कि अग्रिम फीस केवल एक सेमेस्टर या वर्ष के लिए ली जा सकती है। पूरे कार्यक्रम की फीस अग्रिम में मांगना छात्र के गतिशीलता के अधिकार को रोकता है और UGC द्वारा इस पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

“HEIs shall charge fees in advance only for the Semester/year in which a student is to engage in Academic activities. Collecting Advance Fees for entire programme of study or for more than one semester/year in which a student is enroll is strictly prohibited, as it restricts the student from exercising other options of enrollment elsewhere.”

MADRAS HIGH COURT • 2024

स्रोत HCMA010137762021

06 Rony Samuel v. The Registrar, Basheer Ahmed Crescent University

MADRAS HIGH COURT • 2020-01-28 • WP/33212/2017

यह मामला एक छात्र द्वारा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मूल दस्तावेजों को रोके जाने के संबंध में था। याचिकाकर्ता ने PGDM कोर्स पूरा करने के बाद अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र वापस मांगे, लेकिन उत्तरदाताओं ने बकाया शुल्क का हवाला देकर उन्हें जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 के Regulation 6.9 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी संस्थान केवल शुल्क भुगतान के लिए छात्रों के मूल प्रमाण पत्र या डिग्रियां नहीं रख सकता।

निर्णय न्यायालय ने घोषित किया कि शैक्षणिक संस्थान किसी भी छात्र के मूल दस्तावेजों पर अपना ग्रहणाधिकार (lien) होने का दावा नहीं कर सकते। बकाया फीस की आड़ में डिग्री या प्रमाण पत्र रोकना छात्र को अन्य अवसरों से वंचित करने और शिक्षा के व्यावसायिक शोषण का स्पष्ट उदाहरण है, जिसे कानूनन अनुमति नहीं दी जा सकती।

“No institution deemed to be University, who has in its possession or custody, of any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution, shall refuse to return such degree, certificate, award or other document with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such institution.”

MADRAS HIGH COURT • 2020

स्रोत HCMA011897362017

07 Dr. Major K. Kamalanathan v. University Grants Commission

MADRAS HIGH COURT • 2016-07-18 • WP/5559/2016

यह मामला फीस वापसी से संबंधित है। याचिकाकर्ता के बेटे ने Saveetha University में MBBS कोर्स में दाखिला लिया था और पूरी फीस जमा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक अन्य संस्थान में दाखिला लेने का निर्णय लिया। जब याचिकाकर्ता ने फीस वापसी की मांग की, तो विश्वविद्यालय ने अपने 'refund policy' का हवाला देकर इसे मना कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक 'Undertaking Letter' पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। याचिकाकर्ता ने University Grants Commission (UGC) के दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जो यह अनिवार्य करते हैं कि यदि कोई छात्र कोर्स छोड़ता है और खाली हुई सीट भर दी जाती है, तो विश्वविद्यालय को फीस वापस करनी चाहिए। न्यायालय ने यह माना कि विश्वविद्यालय के नियम UGC के निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी कि विश्वविद्यालय द्वारा मूल प्रमाण पत्र रोकना तथा छात्रों को जबरन रोककर रखना गैर-कानूनी है। यदि छात्र के प्रवेश वापस लेने के बाद वह सीट किसी अन्य प्रतीक्षा सूची के छात्र से भर दी जाती है, तो संस्थान को आनुपातिक मासिक कटौती के बाद छात्र की पूरी फीस वापस करनी होगी।

“The University Grants Commission is of the view that these deemed to be universities, by way of retaining the certificates in original and forced retention of admitted students, are limiting the opportunities for the candidates from exercising other options of joining other institutions of their choice. As such, it is not permissible for institutions deemed to be universities to retain the School/ Institution Leaving Certificate, mark sheet, caste certificate and other documents in original.”

MADRAS HIGH COURT • 2016

स्रोत HCMA011092472016

08 International Institute of Information Technology v. Dhairya Omprakash Jhunjhunwala

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023-06-19 • WA/614/2023

यह मामला शिक्षण शुल्क की वापसी से संबंधित है। एक छात्र ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान अपनी प्रवेश प्रक्रिया रद्द कर दी थी। संस्थान ने AICTE के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए शुल्क वापस करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक 'deemed University' होने के नाते, संस्थान पर AICTE के बजाय UGC के दिशानिर्देश लागू होते हैं। चूंकि छात्र ने UGC द्वारा निर्धारित समय सीमा (31.12.2020) के भीतर प्रवेश रद्द किया था, इसलिए उसे शुल्क वापसी का अधिकार है। न्यायालय ने COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए संस्थान की अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश (Single Judge) के शुल्क वापस करने के निर्णय को बरकरार रखा।

निर्णय खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि असाधारण महामारी परिस्थितियों के दौरान माता-पिता को वित्तीय राहत देने के उद्देश्य से जारी UGC के निर्देश बाध्यकारी हैं। छात्र ने यदि कुछ दिन कक्षाएं ली भी थीं, तो भी इस आधार पर रिफंड अस्वीकार करना या अनुपातिक फीस काटना अनुचित है।

“In order to avoid financial hardship being faced by the parents due to lockdown and related factors, full refund of fees be made on account of all cancellation of admissions/ migration of students, upto 30.11.2020, for this very session as a special case. To be crystal clear, the entire fees including all charges be refunded in totality (2,60,00,000/- Cancellation charges) on account of cancellation/ migration upto 30. 11 2020. 'fhereafter, on cancellation/withdrawal of admissions upto 31. 12.2020, the entire fees collected from a student be refunded in full after deduction of not more than Rs.1,00,000/- as processing r'ee”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023

स्रोत HBHC010270072023

अ स्वी क र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।